



अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद All India Council for Technical Education

नेल्सन मंडेला मार्ग, वसंत कुंज, नई दिल्ली –110070

www.aicte-india.org

सौजन्य – अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद

उच्च तकनीकी शिक्षा हेतु अभातशिप (AICTE) संस्थान में शिक्षकों और छात्रों के स्तर पर गुणवत्ता एवं नवाचार संवर्धन के लिए विविध योजनाओं का विवरण, इस प्रकार है :

संकाय विकास योजनाएं (Faculty Development Schemes)

संकाय विकास कार्यक्रम (एफडीपी) :-

योजना (संकाय विकास कार्यक्रम) का उद्देश्य प्रशिक्षण आयोजित करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है जो ज्ञान, कौशल के उन्नयन की सुविधा प्रदान करेगा और तकनीकी विषयों में नियोजित शिक्षकों को प्रेरण प्रशिक्षण के अवसर प्रदान करने का इरादा रखता है।

लघु अवधि प्रशिक्षण कार्यक्रम (STTP) :-

एआईसीटीई द्वारा शुरू की गई नई योजना का फोकस संकाय, प्रशासनिक कर्मचारियों और पुस्तकालयाध्यक्षों को प्रशिक्षण प्राप्त करने और नवीनतम शैक्षणिक तकनीकों की बारीकियों से खुद को परिचित कराने के लिए एक मंच प्रदान करना है। तकनीकी/व्यावसायिक शिक्षा का क्षेत्र।

एआईसीटीई-आईएसटीई प्रेरण/पुनश्चर्या कार्यक्रम :-

तकनीकी संस्थानों में शिक्षकों के पेशेवर शोधन के लिए एआईसीटीई-आईएसटीई प्रेरण/पुनश्चर्या कार्यक्रम आवश्यक हैं।

संकाय विकास के लिए एनपीटेल द्वारा आयोजित एफडीपी (MOOCs) :-

AICTE और NPTEL के बीच 03.07.2018 को एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए थे। इस सहयोग (एमओओसी के संयुक्त प्रमाणीकरण) के तहत संकाय द्वारा शुरू किए गए और सफलतापूर्वक पूर्ण किए गए इन एनपीटीईएल पाठ्यक्रमों को सीएएस/सीडी भर्ती के तहत संकाय पदोन्नति के लिए माना जाएगा।

शारीरिक शिक्षा निदेशकों/खेल अधिकारियों के लिए एसटीटीपी :-

शारीरिक/खेल-खेल शिक्षकों/खेल निदेशक/खेल अधिकारी (संकाय नामित) के लिए दो सप्ताह का एक पायलट एसटीटीपी (आवासीय कार्यक्रम) शुरू किया गया है।

गुणवत्ता सुधार कार्यक्रम :-

यह संकाय सदस्यों को मास्टर और डॉक्टरेट डिग्री कार्यक्रम के माध्यम से अपने शैक्षिक और तकनीकी कौशल के स्तर को उन्नत करने के अवसर प्रदान करता है। "बेहतर शिक्षण के लिए उच्च योग्यता"।

एआईसीटीई-तकनीकी विश्वविद्यालय संयुक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम :-

समझौता ज्ञापन राष्ट्र निर्माण की दिशा में एक सार्थक योगदान को सक्षम करने के लिए निम्नलिखित तैयार करने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करना है:- विश्वविद्यालय के विभाग के सदस्य, पुस्तकाध्यक्ष, नॉन टीचिंग स्टाफ

अनुसंधान प्रोत्साहन योजना (RPS):-

स्थापित और नई प्रौद्योगिकियों में इंजीनियरिंग विज्ञान और नवाचारों में अनुसंधान को बढ़ावा देकर संस्थानों में अनुसंधान का माहौल बनाना। देश में संकाय और अनुसंधान कर्मियों की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए मास्टर और डॉक्टरेट डिग्री उम्मीदवारों को उत्पन्न करना। ये आगे निम्न प्रकार के हैं-

- उत्तर पूर्वी क्षेत्र के लिए अनुसंधान प्रोत्साहन योजना (RPS-NER)
- उत्तर पूर्वी क्षेत्र (ग्रामीण) के लिए अनुसंधान प्रोत्साहन योजना
- राष्ट्रीय डॉक्टरेट फैलोशिप के लिए अनुसंधान प्रोत्साहन योजना (RPS-NDF)
- प्रबंधन के लिए अनुसंधान प्रोत्साहन योजना (RPS प्रबंधन)

एआईसीटीई-व्यावसायिक विकास योजना :-

विशेषज्ञता के संबंधित क्षेत्र में वैश्विक परिवर्तनों के लिए खुद को अद्यतन करने के लिए विदेशों में अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में भाग लेने का अवसर प्रदान करके संकाय के बीच अनुसंधान संस्कृति को बढ़ावा देना।

AICTE-INAIE (प्रतिष्ठित विजिटिंग प्रोफेसरशिप योजना) :-

विशिष्ट विजिटिंग प्रोफेसर छात्रों और संकाय के लिए उद्योग के अत्याधुनिक, औद्योगिक माहौल और उद्योग की अनुसंधान एवं विकास आवश्यकताओं पर व्याख्यान देते हैं। उद्योग के लिए छात्र परियोजनाओं/रुचि के सिद्धांतों का मार्गदर्शन करता है, पाठ्यक्रम विकास में मदद करता है और इंजीनियरिंग संस्थान और उद्योग के पारस्परिक लाभ के लिए अन्य गतिविधियों को शुरू करता है।

एआईसीटीई-तकनीकी पुस्तक लेखन और अनुवाद :-

यह योजना एफडीसी द्वारा स्थानीय भाषा में ज्ञान आधार बनाने के लिए तकनीकी शिक्षा में 'अनुसूचित क्षेत्रीय भाषा' के उपयोग को बढ़ावा देने और नवीनतम विकास को शामिल करते हुए नवीनतम तकनीकी ज्ञान के खजाने के निर्माण को प्रोत्साहित करने के लिए शुरू की गई है। प्रतिष्ठित संकाय/लेखकों/अनुवादकों को वित्तीय सहायता प्रदान करके।

AICTE-Emeritus प्रोफेसर (प्रतिष्ठित चेयर प्रोफेसर) :-

इस योजना का उद्देश्य उच्च योग्य और अनुभवी सेवानिवृत्त पेशेवरों की विशेषज्ञता का उपयोग करना है, जिन्होंने पेशेवर के लिए किसी भी विषय में अपने संबंधित क्षेत्रों में समाज के लिए निस्संदेह, अपरिवर्तनीय, अद्वितीय और असाधारण योगदान दिया है। मेजबान संस्थानों और आसपास के क्षेत्रों में स्थित संस्थानों के छात्र/संकाय का लाभ।

एआईसीटीई-सर्वश्रेष्ठ शिक्षक पुरस्कार :-

यह योजना असाधारण शिक्षकों की पहचान करने और पुरस्कार के साथ डिग्री, डिप्लोमा और प्रबंधन संस्थानों के लिए राष्ट्रीय स्तर पर तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में ऐसे शिक्षकों की उत्कृष्टता/सर्वोत्तम प्रथाओं/नवीनता को पहचानने के लिए शुरू की गई है।

संस्थागत विकास प्रकोष्ठ (Institutional Development Cell)

1. *एआईसीटीई-आयोजन सम्मेलन हेतु अनुदान (GOC) योजना के लिए* : यह योजना तकनीकी शिक्षा के विभिन्न क्षेत्रों में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सम्मेलन आयोजित करने के लिए संस्थानों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है।

आयोजन के लिए संस्थानों को अधिकतम वित्तीय सहायता:

- ऑनसाइट राष्ट्रीय सम्मेलन (3 लाख रुपये)

- ऑनसाइट अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन (रु. 4 लाख)
- ऑनलाइन/ई-सम्मेलन (रु. 50,000)

2. *एआईसीटीई-ई-शोध सिंधु (मै) योजना* – यह योजना ई-संसाधनों/ई-जर्नलों (जैसे-एएससीई, एएसएमई, डब्ल्यूओएस, स्कोपस, बेंथम फार्मा आदि) के माध्यम से सूचना और ज्ञान प्रदान करती है, जो इनफिलबनेट द्वारा सुविधा प्रदान की जाती है। अनुसंधान गतिविधियों में लगे सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त संस्थानों

- को संस्थानों को ई-संसाधन/ई-जर्नल की सदस्यता प्रदान की जाती है।
3. **एआईसीटीई-छात्रों के बीच रुचियों, रचनात्मकता और नैतिकता को बढ़ावा देने के लिए योजना** : Scheme for Promoting Interests, Creativity and Ethics among Students (SPICES) योजना- संस्थान में अन्य क्लबों के लिए एक मॉडल के रूप में एक छात्र क्लब विकसित करने के लिए एआईसीटीई द्वारा अनुमोदित संस्थानों को वित्तीय सहायता (1 लाख रुपये)।
 4. **एआईसीटीई-आधुनिकीकरण और अप्रचलन (MODROB) योजना** : योजना के तीन प्रकारों के माध्यम से प्रस्तावित प्रयोगशालाओं/कार्यशालाओं/कंप्यूटिंग सुविधाओं में अप्रचलन को आधुनिक बनाने और हटाने के लिए वित्तीय सहायता (20 लाख रुपये तक)
 - MODROB-नियमित
 - MODROB-आकांक्षी संस्थान
 - MODROB-पॉलिटैक्निक
 5. **एआईसीटीई-कैंपस आवास एवं सुविधाएं वर्धक सामाजिक अनुभव (CAFES) योजना**- छात्रावास के निर्माण के लिए संस्थानों को वित्तीय सहायता। इस योजना के तीन प्रकार हैं जो निम्नलिखित की जरूरतों को पूरा करते हैं: -
 - (i) कैफे - अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के छात्र
 - (ii) कैफे - एनईआर (पूर्वोत्तर क्षेत्र में स्थित संस्थान)
 - (iii) कैफे - अलग-अलग विकलांग छात्र
 - छात्रावास का निर्माण - रु.3 करोड़
 - जिम उपकरण की स्थापना - रु. 5 लाख
 - इंडोर स्पोर्ट्स क्लब की स्थापना - रु. 10 लाख
 - पुस्तकालय की स्थापना- रु. 10 लाख
6. **एआईसीटीई- पूर्वोत्तर क्षेत्र (GAINER) में बुनियादी ढांचे को बढ़ाने के लिए अनुदान का उद्देश्य** - एनईआर में स्थित संस्थानों में बुनियादी ढांचे को मजबूत करना है।
 - प्रति संस्थान पानी की समस्या के समाधान के लिए (15 लाख रु.)
 - प्रति संस्थान सौर ऊर्जा संयंत्र या जनरेटर की खरीद के लिए (20 लाख रुपये)
 - उचित इंटरनेट कनेक्शन की सुविधा के लिए (5 लाख रु.)
7. **एआईसीटीई-विचार विकास, मूल्यांकन और अनुप्रयोग (IDEA) लैब योजना** - एक छत के नीचे सुविधाओं को विकसित करने के लिए, प्रोटोटाइप में विचार के अनुवाद का समर्थन करने के लिए और 21 वीं सदी के कौशल जैसे समस्या समाधान, महत्वपूर्ण सोच, सहयोग आदि पर प्रशिक्षण। 50% परियोजना लागत एआईसीटीई द्वारा पूरा किया जाना है, 55 लाख रुपये से अधिक नहीं।

छात्र विकास प्रकोष्ठ (Student Development Cell)

1. **स्नातकोत्तर (PG) छात्रवृत्ति योजना** : मास्टर ऑफ इंजीनियरिंग, मास्टर ऑफ टेक्नोलॉजी, मास्टर ऑफ आर्किटेक्चर और मास्टर ऑफ फार्मसी पाठ्यक्रमों में प्रवेश लेने वाले छात्र, एआईसीटीई द्वारा अनुमोदित संस्थानों और विश्वविद्यालय / विभागों और पाठ्यक्रमों में एकीकृत पाठ्यक्रम और अनुमोदित कार्यक्रम / सेवन के भीतर ईडब्ल्यूएस श्रेणी के छात्रों के लिए अधिकतम 10% (छात्रवृत्ति के लिए पात्रता शर्तों को पूरा करना), यदि संबंधित संस्थानों द्वारा ईडब्ल्यूएस कोटा लागू किया जाता है।

- छात्रवृत्ति की संख्या: सभी पात्र उम्मीदवार
 - छात्रवृत्ति की राशि : रु. 12400/- प्रति माह अधिकतम 24 महीने की अवधि के लिए।
 - कहां आवेदन करें : एआईसीटीई पीजी छात्रवृत्ति पोर्टल के जवाब में उनके संस्थान के माध्यम से हर साल एआईसीटीई द्वारा अधिसूचना का प्रकाशन।
2. **एआईसीटीई डॉक्टरेट फेलोशिप (ADF) :** योजना दिशानिर्देशों के अनुसार वैध गेट/नेट स्कोर कार्ड के साथ स्नातकोत्तर छात्र।
- छात्रवृत्ति की संख्या : 39 विश्वविद्यालयों में वितरित 339 फ़ैलोशिप
 - छात्रवृत्ति की राशि : रु. 31,000 प्रति माह पहले दो वर्षों के लिए और उसके बाद रु. 35,000 प्रति महीने, और मकान किराया भत्ता (एचआरए) सरकारी मानदंडों के अनुसार। इसके अलावा, रु. 15,000 की राशि प्रति वर्ष आकस्मिक अनुदान के रूप में दिया जाता है।
 - आवेदन कहां करें : संबंधित विश्वविद्यालयों में।
3. **छात्राओं के लिए प्रगति छात्रवृत्ति योजना :**
- उम्मीदवार को डिग्री/डिप्लोमा स्तर के पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष या डिग्री/डिप्लोमा स्तर के पाठ्यक्रम के द्वितीय वर्ष में किसी भी एआईसीटीई अनुमोदित संस्थान और संबंधित वर्ष के पाठ्यक्रम में पार्श्व प्रवेश के माध्यम से प्रवेश दिया जाना चाहिए।
 - प्रति परिवार अधिकतम दो बालिकाएं पात्र हैं।
 - सभी स्रोतों से पारिवारिक आय रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए। चालू वित्त वर्ष के दौरान 8 लाख प्रति वर्ष।
- छात्रवृत्ति की संख्या :
 - चयनित 23 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से प्रति वर्ष 10,000 छात्रवृत्तियां (डिप्लोमा के लिए 5000 और डिग्री के लिए 5000)।
 - शेष 13 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों (पूर्वोत्तर क्षेत्र, जम्मू-कश्मीर आदि सहित) की सभी पात्र छात्राएं
 - छात्रवृत्ति की राशि : रु. 50,000 प्रति वर्ष
 - आवेदन कहां करें : राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल (NSP)
4. **विशेष रूप से सक्षम छात्रों के लिए सक्षम छात्रवृत्ति योजना :**
- उम्मीदवार को डिग्री/डिप्लोमा स्तर के पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष या डिग्री/डिप्लोमा स्तर के पाठ्यक्रम के द्वितीय वर्ष में किसी भी एआईसीटीई अनुमोदित संस्थान और संबंधित वर्ष के पाठ्यक्रम में पार्श्व प्रवेश के माध्यम से प्रवेश दिया जाना चाहिए।
 - विशेष रूप से विकलांग छात्र, जिसकी विकलांगता 40% से कम न हो।
 - सभी स्रोतों से पारिवारिक आय रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए। चालू वित्त वर्ष के दौरान 8 लाख प्रति वर्ष।
 - छात्रवृत्ति की संख्या : सभी पात्र विशेष रूप से विकलांग छात्र।
 - छात्रवृत्ति की राशि : रु. 50,000 प्रति वर्ष
 - आवेदन कहां करें : राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल (NSP) NSP: www-scholarships-gov-in